न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 43/2024

तारीख रजू :– 31.07.2024

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

अशोक सिंह पुत्र बाबू सिंह आयु 55 साल जाति राजपूत निवासी बास मोरडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. भोला आयु 65 साल
2. मेती आयु 63 साल
3. वकील आयु 61 साल
4. पॉच्या आयु 59 साल
5. अमरपाल आयु 58 साल
6. रामप्रसाद आयु 56 साल

पिसरान श्योपाल समस्त जाति मीना नवासी खिलचीपुर बाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी की ओर – श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक– 18.03.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मोरडा तहसील बालघाट जिला गंगापुर सिटी के नवीन खाता संख्या 110 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 2188 रकवा 97 ऐयर, 2189 रकव 87 ऐयर, 2192 रकवा 87 ऐयर, 2193 रकवा 99 ऐयर, 2194 रकवा 9 ऐयर, 2195 रकवा 119 ऐयर, 2196 रकवा 94 ऐयर, 2197 रकवा 131 ऐयर, 2199 रकवा 53 ऐयर, 2200 रकवा 10 ऐयर, 2208 रकवा 14 ऐयर, 2210 रकवा 26 ऐयर, 2211 रकवा 13 ऐयर 2212 रकवा 16 ऐयर, 2228 रकवा 46 ऐयर कुल किता 15 कुल रकबा 9.01 हे0 जो साल व सायल के परिवारजन व भई बन्धों की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसमें सायल का 1/8 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। समस्त खातेदारों द्वारा मौके वा बहसमी बंटवारा कर रख है। जिसमें से उक्त आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र में से भूमि

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

खसरा नम्बर 2193 रकवा 99 ऐयर सायल के हिस्से में बहामी बॅटवारे में आई ओर सायल उक्त आराजी को शांतिपूर्वक बिना किसी व्यवधान के तहत काश्त करता चला आ रहा है। सायल के कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 2193 में से गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं है।

घटना दिनांक 19.07.2024 है कि सायल अपने कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 2193 रकवा 99 ऐयर में बोई बाजेर की फसल की निराई कर रहा था कि अचानक गैरसायालन मौके पर आये और सायल को सायल के कब्ले की भूमि खसरा नम्बर 2193 में से बेदखल करने व फसल को नष्ट करने की धमकी दी और कहा कि इस भूमि पर हम कब्जा कर के रहेगें। यदि तुमने कब्जा नही करने दिया तो तुम्हें धारा=3 एस.एसटी एक्ट एवं बलात्कार, चोरी जैसे गम्भीर मुकदमों में फसा देंगे। सायल ने ऐसा अन्याय नहीं करने का निवेदन किया और कहा इस भूमि मेरा जमाने बुर्जर्गान से कब्जा चल आ रहा है। तुम जबरदस्ती कब्जा क्यों करना चाहते हो लेकिन गैरसायलान नहीं माने और सायल के साथा झगडा करने लगे तो सायल ने दिनांक 22.07.2024 को तहसीलदार टोडाभीम के यहॉ झगडा फसाद नही करने व सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देने हेतु एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 126,13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार टोडाभीम द्वारा एस.एच.ओ. बालघाट को आवश्यक कार्यवाही हेतू आदेश जारी किये गये जो विचाराधीन है, जिसके पश्चात भी गैरसायालान नहीं माने और पुनः दिनांक 24.07.2024 को सायल द्वारा बोई बाजरे की फसल को नष्ट करने हेतु ट्रेक्टर लेकर आये और सायल की आराजी को नाकाबिल काश्त करने व सायल को बेदखल करने की धमकी दी जिस कारण सायल को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान पेश करना लाजमी हुआ।

सायल का प्रामाईफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविध का संतुलन एवं अपूर्तनीयी क्षति का सिद्वान्त भी सायल के पक्ष में है। अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं हाने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार दृव्य में भी संभव नहीं हो सकेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा इस अम्र से पांबद फरमाया जावे कि गैरसायालन खसरा नम्बर 2193 रकवा 99 ऐयर स्थित ग्राम मोरडा, तहसील बालघाट के कब्ले काश्त में तो स्वयं मजाहमत मदाखलता पैदा करें, ना ही किसी अन्य से करावे तथा भूमि को नाकाबिल काश्त नहीं बनावे। सायल को अपने हिस्से व कब्जे की भूमि को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। सायल को बेदखल नहीं करे। ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे सायल व सायल की हितों पर विपरीत प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट ने उपस्थिति दर्ज कराई अधिकतर मद अस्वीकार किये गये। विशेष विवरण इस प्रकार है सायल द्वारा समस्त मैटेरियल फैक्टस को छुपाते हुए दावा मय दारखास्त हाा एकदम गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है। सायल का आराजी विवाद ग्रस्त खं0न0 2193 रकवा 0.99 है0 के किसी भी रकवे पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा कब्जे के अभाव में दावा चलने योग्य नही है। खारिज होने योग्य है।

आराजी ख0न0 2193 रकवा 0.9 है ग्राम मोरेडा तह0 बालघाट जिला करौली में स्थित है जो वाहमी बटवारे में सायल के हिस्से में आया था सायल द्वासरा अपने हिस्से में आयी आराजी ख0न0 2193 रकवा 99 ऐयर को गैरसायलान को ज्येष्ठ सुदी दौज सम्वत 2058 को 60,000/रूपये मे टीकों खेत पाटी तालाब मेरे हिस्से की वट की रकबा 5

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वीघा रख दीना यह खाता मैने मेरी राजीखुशी होश हवास के लिख देना वक्त जरूरत काम आवे उक्त आराजी पर सम्वत 2058 से गैरसायलान काबिज एवम दखील हे एवम काश्त कर रहे है कब्जा करने की गरज से यह गलत दावा पेश किया है जो चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है।

विद्वान वकीलो की बहस सुनी उस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम मोरडा की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 110 में वर्णित खसरा नम्बर 2193 रकवा 0.99 है0 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त स्थिति में मूल वाद में दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय तय होना है। अतः न्यायहित में प्रकरण की वस्तुस्थिति में अन्तरिम निषेधाज्ञा को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में सिद्ध होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि अप्रार्थी को पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मोरडा के आराजी खसरा नम्बर 2193 रकवा 0.99 है0 की मौके की यथास्थिति बनाये रखने,

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रार्थी को अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में शान्तिपूर्वक काश्त करने देने व सायल को बेदखल नहीं करने हेतु गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली